फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

3

राजस्थान सरकार बनाम लीलाधर वगै0

मुकदमा न0 257/2021

किस्म मुकदमा धारा दावा 177

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। बहस सुनी गई। अतः भूमि खेत ख0न0 171 रकबा 0.07 है0 एवं ख0न0 686/168 रकबा 0.31 है0 स्थित ग्राम सेहीकला तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है। अतः वाद वादीगण को स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने मौखिक बहस कर संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर, खातेदार/ कब्जेदार/ अतंरक/अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि खेत ख0न0 171 रकबा 0.07 है0 एवं ख0न0 686/168 रकबा 0.31 है0 स्थित ग्राम सेहीकला को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते है विधिसम्मत कार्यवाही कर जमाबन्दी में स्पष्ट अंकन करे की प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 177 का उल्लघंन करने पर भूमि को सिवायचक किया गया है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखील दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	